कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 2036 /12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 02.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :– **चौबाटी–बरम–बचकुड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।**

संदर्भ :– **इस कार्यालय की पत्र संख्या 1993/12–1 दिनांक 26.02.2015।**

महोदय,

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियां आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि आपत्ति के क्रमांक 1 से 3 तक का निराकरण वाछित अभिलेख संलग्न करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑन लाइन के माध्यम से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आपके द्वारा नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी 3 बिन्दुओं से सम्बन्धित आपत्ति का बिना निराकरण किये हुए ही प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। यह आपके स्तर से बरती गयी 25 वॉ उदाहरण है जिसमें आप द्वारा बिना अभिलेखों को देखे अनावश्यक रूप से पत्राचार कर इस कार्यालय का अनावश्यक समय व्यर्थ किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह चिन्ताजनक है कि आप द्वारा इस मार्ग से सम्बन्धित आपतियों के सापेक्ष जो अभिलेख संलग्न किये है वे आपत्तियों से सम्बन्धित ही नही है इसके अतिरिक्त यह अभिलेख बुगांछिना–कुसेल मार्ग से सम्बन्धित है यह आपके कार्यालय एवं आपकी कार्यक्षमता का स्तर दर्शाताा है।

भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सम्बन्ध में आप द्वारा हमेशा ही वरती जा रही लापरवाही के कारण इस कार्यालय के विभिन्न पत्र व **अर्धशासकीय पत्रांक क 2012/12–2 दिनांक 27.02.2015** से स्पष्ट रूप से सचेत किया गया है। विभिन्न पत्रों से सचेत किये जाने व चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी इस ओर ध्यान नही दिया जाना प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर के अधिकारी के स्तर पर दुर्भाग्यपूर्ण है।

उक्त आलोक में इस प्रस्ताव को किसी भी दशाा में अग्रसारित किया जाना सम्भव न होने के कारण इसे आपको वापस किया जा रहा है आपके स्तर से लापरवाही के कारण प्रकरण में विलम्ब हुआ है, यदि भविष्य में कोई अप्रिय स्थिति आती है तो इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय
2/03/2015

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांक / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के स्तर पर भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में बरती जा रही लापरवाही के कारण पिथौरागढ़ जनपद से सम्बन्धित प्रस्तावों में विलम्ब हो रहा है कृपया इसका संज्ञान लेने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2/03/2015

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।